बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक..
03/नि0 प्रशिक्षण डी॰एन॰एस॰–04/2020 (100059)

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

विषयः– **दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में दिनांक–16.03.2026 से 18.03.2026 तक पैक्स एवं FPO के प्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला में आवासन एवं भोजन पर हुए व्यय राशि रू0 2,86,450/– (दो लाख छियासी हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना को करने हेतु राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में दिनांक–16.03.2026 से 18.03.2026 तक पैक्स एवं FPO के प्रतिनिधियों हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला में आवासन एवं भोजन पर हुए व्यय राशि रू0 2,86,450/– (दो लाख छियासी हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना को करने हेतु राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101 विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, पटना–800023 शाखा के चालू खाता संख्या–30923505568, आई०एफ०एस०सी० कोड–SBIN0004386 में राशि रू0 2,86,450/–(दो लाख छियासी हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. भुगतान के स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–03 / नि0 प्रशिक्षण डी॰एन॰एस॰–04 / 2020 (100059) पर पृष्ठ संख्या–121 / टि॰ दिनांक–11.05.2026 को दी गई है।

2. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–03 / नि0 प्रशिक्षण डी॰एन॰एस॰–04 / 2020 (100059) पर पृष्ठ संख्या–121 / टि॰ दिनांक–14.05.2026 को दी गई है।

ह0 / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 111 / पटना, दिनांक 15/05/26
03 / नि0 प्रशिक्षण डी॰एन॰एस॰–04 / 2020 (100059)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 / आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1142
15-05-2026

15-05-26
सरकार के अपर सचिव।